



कार्यालय नगर निगम जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

क्रमांक- एक-6 () उपा.राज.(सा.प्र.)/ननिज/2016/341

दिनांक-22.11.2016

नीलामी सूचना

नगर निगम जयपुर सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर निम्न विवरण में उल्लेखित निर्मित ओवरहेड साईनैज (गैन्ट्री), कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभों पर लगाने वाले छोटे बोर्ड), निर्मित बसशैल्टर्स, निर्मित सुलभ शौचालय, निर्मित टैलेट्स ग्रेटेड टॉवर ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट व निर्मित यूनिपोल 14'x7' पर विज्ञापन एवं संचारण व सूची में अंकित चिह्नित स्थानों पर सवेदक द्वारा नई यूनिपोल विज्ञापन साईट लगाने व यूनिपोल विज्ञापन साईटों पर विज्ञापन करने एवं संचारण हेतु, खुली नीलामी लाल कोठी मुख्यालय, ग्राउन्ड फ्लोर पर कमरा नं. 123 के बाहर की जायेगी।

नीलामी दि. 19.12.2016 से दि. 22.12.2016 तक प्रातः 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक की जायेगी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	जोन का नाम	दिनांक	अमानता राशि
1	यूनिपोल- मोती झूली जोन, सिविल लाइन जोन, विद्याधर नगर जोन,	19.12.2016	16'X8' साईज के यूनिपोल के 15,000/- रु. (पन्द्रह हजार रु.) प्रति साईट व
2	यूनिपोल-मानसरोवर जोन, सांगानेर जोन, आमेर जोन, हवामहल जोन (पूर्व),	20.12.2016	30'X15' साईज के यूनिपोल के 25,000/- रु. (पच्चीस हजार रु.) प्रति साईट
3	कियोस्क (बिजली के खंभों पर लगाने वाले छोटे बोर्ड), हवामहल (पूर्व) जोन, विद्याधर नगर जोन, एवं निर्मित ओवरहेड साईनैज (गैन्ट्री), निर्मित सुलभ शौचालय पर विज्ञापन एवं संचारण (एक समूह में) निर्मित बसशैल्टर्स, निर्मित यूनिपोल 14'x7', निर्मित टैलेट्स ग्रेटेड टॉवर ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट (2 समूह में)	21.12.2016	कियोस्क हेतु रुपये 1,00,000/- प्रति जोन, प्रति ओवरहेड साईनैज (गैन्ट्री) प्रति 20,000 रु. (बीस हजार रु.) एवं रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार रु.) प्रति सुलभ शौचालय व रुपये 20,000/- (बीस हजार रु.) प्रति बसशैल्टर, निर्मित यूनिपोल 14'x7' साईट रुपये 20,000/- (बीस हजार रु.) प्रति, निर्मित टैलेट्स ग्रेटेड टॉवर ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट 60,000/- रुपये (साठ हजार रुपये) समूह में
4	उपरोक्त में से शेष बची साईट्स	22.12.2016	शेष विज्ञापन साईट्स की अमानता राशि उपरोक्तानुसार।

नीलामी की प्रमुख शर्त :-

- उपरोक्त यूनिपोल, निर्मित ओवरहेड साईनैज (गैन्ट्री), निर्मित बसशैल्टर्स, कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभों पर लगाने वाले छोटे बोर्ड) एवं निर्मित सुलभ शौचालय, निर्मित टैलेट्स ग्रेटेड टॉवर ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट व निर्मित यूनिपोल 14'x7' विज्ञापन लाईसेन्स जारी अवधि से (एक वर्ष तथा दो वर्ष नवीनीकरण) के लिए नीलाम किये जायेंगे।
- इच्छुक बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व उपरोक्त विज्ञापन साईटों हेतु नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार अमानता राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट से नियमानुसार जमा करवाना अनिवार्य होगा व सभी शर्तों की पालना करनी होगी।
- उच्चतम बोलीदाता फर्म को नीलामी की चौथाई राशि (1/4) तुरन्त नीके पर जमा करानी होगी।
- उपरोक्त विज्ञापन साईटों की संख्या में कमी या बढोत्तरी की जा सकेगी।
- नीलामी की अन्य शर्तें एवं उपरोक्त विज्ञापन साईटों, की सूची व शर्तों की जानकारी, नगर निगम जयपुर की वेबसाईट www.jaipur.mc.org एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है अथवा राजस्व अधिकारी (होर्डिंग्स) निगम मुख्यालय प्रथम तल, नई बिल्डिंग, कमरा नम्बर 226/राजस्व शाखा (होर्डिंग) कमरा नं. 221 में कार्यदिवस समय में देखी जा सकती है एवं सूचना पट्ट निगम मुख्यालय पर भी देखी जा सकती है।
- नीलामी स्थल पर बोलीदाता के अतिरिक्त एक ही व्यक्ति साथ रह सकता है बोलीदाता को अपने पहचान पत्र की फोटोप्रति देनी होगी। बोलीदाता के साथ एक से अधिक व्यक्ति साथ नहीं रहेंगे।
- नीलामी स्थल पर बोलीदाता एवं उसका सहयोगी मोबाइल फोन नहीं रख सकेगा एवं मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा।
- किसी भी नीलामी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा।

उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपि :-

- जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को डी.पी.आर. के निवर्तों के अनुसार प्रमुख अंग्रेजी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की व्यवस्था करें।
- प्रोग्रामर, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को नगर निगम की वेबसाईट एवं पोर्टल पर प्रदर्शित करावे।

उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

यूनिपोल साईट
मोतीझूंगरी जोन दिसम्बर 2016
नीलामी की सूची

1	MDZ-01	16X8	टोंक रोड, अजमेरी गेट, एम.जी.डी.स्कूल की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर।	
2	MDZ-03	16X8	टोंक रोड, अशोक मार्ग तिराहा, एम.जी.डी.स्कूल की दीवार के पास बने स्लीप लाईन पर साईट सं. मोतीझूंगरी जोन 2 से 60 फुट दूर अशोक मार्ग की ओर, दीवार के समानान्तर।	
3	MDZ-04	16X8	टोंक रोड, उपरोक्त के सामने स्लीप लाईन पर, महारानी कॉलेज की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर वि.प.न.1।	
4	MDZ-05	16X8	टोंक रोड, महारानी कॉलेज की दीवार के समानान्तर, फुटपाथ पर स्लीप लाईन पर, वि.प. न. 2	
5	MDZ-06	16X8	अशोक मार्ग, जय क्लब की दीवार के समानान्तर, फुटपाथ पर चौराहा देखते हुये।	
6	MDZ- 18	16X8	टोंक रोड, नारायण सिंह तिराहा, तोतूका भवन की दीवार के पास, अजमेरी गेट की ओर बने पुलिस बूथ के पास समानान्तर।	
7	MDZ- 25	16X8	टोंक रोड, रामबाग सर्किल से सुबोध कॉलेज की दीवार के सहारे, फुटपाथ पर समानान्तर	
8	MDZ- 31	16X8	टोंक रोड, सौम्य मार्ग के कोने पर, नेहरू बाल उद्यान की बाउंड्रीवाल के सहारे	
9	MDZ- 41	16X8	शांति पथ, तिलक नगर, बिरला मंदिर पिछे, सर्किल पर ही यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे, फुटपाथ पर वि.प.न. 1	
10	MDZ- 42	16X8	उपरोक्त सर्किल पर ही यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे, फुटपाथ पर, वि.प.न.2	
11	MDZ- 43	16X8	शांति पथ तिलक नगर, टंकी के सामने, यूनिवर्सिटी की दीवार के पास बने ट्रांसफार्मर के समानान्तर	
12	MDZ-46	16X8	गोविन्द मार्ग, धर्मसिंह सर्किल से पहले पार्क के कोने पर	
13	MDZ-48	16X8	मोतीझूंगरी रोड पर धर्मसिंह सर्किल पर, दक्षिणी-पूर्व कोने पर फुटपाथ पर दीवार के सहारे।	
14	MDZ- 54	16X8	गोविन्द मार्ग, पागलखाने की दीवार के पास, भैरव फीलिंग स्टेशन के सामने नाले के पास।	
15	MDZ- 55	16X8	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, त्रिमूर्ति सर्किल मुग्धबधिर स्कूल की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर	

यूनिपोल साईट
विद्याधर नगर जोन दिसम्बर 2016
नीलामी की सूची

1	VDZ-03	16X8	झोटवाड़ा रोड़, पीतल फैक्ट्री के सामने मंदिर के पास पूर्व की ओर
2	VDZ-10	16X8	बनीपार्क, माधोसिंह सर्किल पर पूर्वी उत्तरी कोने पर सर्किल देखते हुये
3	VDZ-11	16X8	शास्त्री नगर कावंटिया सर्किल के दक्षिणी पूर्वी कोने के फुटपाथ पर वि.प. नं. 1
4	VDZ- 14	16X8	विद्याधर नगर, सिने स्टार बौराहा के दक्षिणी-पश्चिमी कोने पर।
5	VDZ- 15	16X8	विद्याधर नगर, स्वर्ण जयन्ती पार्क के सामने विद्याधर नगर जाने वाले रोड़ के उत्तरी पश्चिमी कोने के फुटपाथ पर वि. प.न. 1
6	VDZ- 16	16X8	विद्याधर नगर, स्वर्ण जयन्ती पार्क के सामने विद्याधर नगर जाने वाले रोड़ के उत्तरी पश्चिमी कोने के फुटपाथ पर वि. प.न. 2
7	VDZ- 20	16X8	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल के पास, गणपति टॉवर के तिराहे के टी-पॉइंट पर दक्षिणी ओर फुटपाथ पर समानांतर वि.प.न. 1।
8	VDZ- 21	16X8	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल के पास, गणपति टॉवर के तिराहे के टी-पॉइंट पर दक्षिणी ओर फुटपाथ पर समानांतर वि.प.न. 2।
9	VDZ- 23	16X8	विद्याधर नगर,, माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल के पास, गणपति टॉवर के तिराहे पर, उत्तर-पूर्व बने पार्क के कोने पर फुटपाथ के समानांतर वि.प.न. 1।
10	VDZ- 27	16X8	अम्बाबाड़ी सर्किल पर उत्तरी-पूर्वी कोने पर
11	VDZ- 39	16X8	विद्याधर नगर,, पुराने विद्याधर नगर सर्किल पर पश्चिमी की ओर कोने पर।
12	VDZ- 41	16X8	कलेक्ट्री सर्किल पर कबीर मार्ग के कोने पर, साईट सं. VDZ-44 के पास जयसिंह हाईवे रोड़ की ओर।
13	VDZ- 42	16X8	कलेक्ट्री सर्किल, होटल जयपुर अशोक की दीवार के समानांतर जयसिंह हाईवे की ओर।

यूनिपोल साईट
सिविल लाईन जोन दिसम्बर 2016
नीलामी की सूची

1	CLZ- 61	16X8	वैशाली नगर, क्वींस रोड, प्रिंस मार्ग के सामने, मिलेफ्री की दीवार के सहारे।	
2	CLZ- 90	16X8	टोंक रोड फल मण्डी रोड, नेहरू पैलेस के दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर समानांतर	
3	CLZ-104	30X15	अजमेर रोड अमानीशाह के नाले के आगे सोडानी स्वीट्स के सामने अजमेर देखते हुये।	
4	CLZ-108	30X15	परिवहन मार्ग हसनपुरा पुलिस आरओबी के पास परिवहन मार्ग की ओर बने राजपूताना होटल देखते हुये।	New




**यूनिपोल साईट
मानसरोवर जोन दिसम्बर 2016**

नीलामी की सूची

1	MSZ-03	16X8	गोपालपुरा बाईपास, न्यू आतिश मार्केट की पश्चिमी कोने पर गुजर की थड़ी देखते हुये।	
2	MSZ-05	16X8	मानसरोवर शिप्रापथ पर मोहननगर पुलिया जाने वाले रास्ते के तिराहे के टी-पॉइंट पर गोपालपुरा देखते हुये, समानान्तर वि.प.नं.2।	
3	MSZ-07	16X8	मानसरोवर वीर तेजाजी चौराहा मध्यम मार्ग चौराहे के उत्तरी-पूर्वी कोने पर चौराहा देखते हुये।	
4	MSZ-08	16X8	मानसरोवर वीर तेजाजी चौराहे पर ही पूर्वी कोने पर चौराहा देखते हुये।	
5	MSZ-12	16X8	मानसरोवर, महारानी फार्म पुलिया के पश्चिमी कोने पर दुर्गापुरा देखते हुये।	
6	MSZ-17	16X8	गोपालपुरा बाईपास रोड़, गोपालपुरा, स्कूल की दीवार के पास गोपालपुरा आरोबी देखते हुये।	
7	MSZ-34	16X8	मानसरोवर शिप्रापथ पर केजीपी स्कूल के पहले पश्चिमी ओर खाली पड़ी भूमि पर शिप्रापथ देखते हुये।	
8	MSZ-54	16X8	शिप्रापथ मोहननगर पुलिया आने वाले रास्ते के टी-पॉइंट पर साईट सं. MSZ-04 के पास एरा.एफ. एस की ओर।	
9	MSZ-59	30X15	आश्रम मार्ग जवाहर सर्किल आश्रम मार्ग के उत्तरी कोने पर फुटपाथ पर।	
10	MSZ-60	30X15	जवाहर सर्किल के पिछे ट्रामिनल 2 एयरपोर्ट रोड़ पर जय गुरुदेव सत्संग स्थल जाने वाले मार्ग पर एयरपोर्ट देखते हुये।	
11	MSZ-64	16X8	मानसरोवर, न्यू सांगानेर रोड़ पर द्वारकादास पुरोहित मार्ग के टी-पॉइंट पर श्री राम व्हीलकेयर के पास सांगानेर की ओर से फुटपाथ पर विज्ञापन पट्ट नं. 1	New
12	MSZ-65	16X8	मानसरोवर, न्यू सांगानेर रोड़ पर द्वारकादास पुरोहित मार्ग के टी-पॉइंट पर श्री राम व्हीलकेयर के पास सांगानेर की ओर से फुटपाथ पर विज्ञापन पट्ट नं. 2	New
13	MSZ-66	16X8	गोपालपुरा बाईपास, किसान धर्मकांटे से आये 200 फीट बाईपास के टी-पॉइंट पर ग्रीन ऐवन मैरिज गार्डन के पास फुटपाथ पर	New




यूनिपोल साईट
आमेर जोन दिसम्बर 2016
नीलामी की सूची

1	AMZ-01	16X8	आमेर रोड, शहीद वनकर्मी उद्यान के सामने पार्किंग के पास फुटपाथ पर	
2	AMZ-02	16X8	आमेर रोड, जलमहल चौराहे से आगे नाले की पुलिया के पूर्व की ओर कोहिनूर ज्वैलर्स के सामने नाले की दीवार के सहारे वि.प.न. 2	
3	AMZ-03	16X8	आमेर होटल के.के. रायल डेज के पूर्वी गेट के सामने स्वर्ण जयंती रंगमंच की दीवार के पास।	
4	AMZ-04	16X8	आमेर रोड, कुण्डा से पहले ज्योति क्लिनिक के पास पूर्व की ओर बने फायर स्टेशन की बाउण्ड्रीवाल की दीवार के समानांतर।	
5	AMZ-08	16X8	आमेर रोड, होटल होली डे इन, के सामने कब्रिस्तान की दीवार के समानांतर आमेर देखते हुये।	
6	AMZ-09	16X8	आमेर रोड, जलमहल चौराहे से आगे नाले की पुलिया के पूर्व की ओर कोहिनूर ज्वैलर्स के सामने नाले की दीवार के सहारे वि.प.न.1	
7	AMZ-17	16X8	आमेर रोड, कुण्डा, ज्योति क्लिनिक के पास।	

20/1 H.

यूनिपोल साईट
सांगानेर जोन दिसम्बर 2016
नीलामी की सूची

1	SNZ-42	16X8	टोंक रोड़, सीतापुरा EPIP को जाने वाले रास्ते के उत्तरी कोने पर टोंक रोड़ की ओर से वि.प.न.1	
2	SNZ-44	16X8	टोंक रोड़, सीतापुरा EPIP को जाने वाले रास्ते के दक्षिणी कोने पर टोंक रोड़ की ओर से वि.प.न.1	
3	SNZ-58	30X15	सांगानेर रोड़, मानसरोवर आरोबी के पास, आरोबी के पश्चिम और रेलवे बाउंड्रीवाल के पास	
4	SNZ-59	30X15	टोंक रोड़, सीतापुरा आरोबी के पास पूर्व की ओर इण्डियन ऑयल गोदाम के बाहर सांगानेर देखता हुआ	




यूनिपोल साईट
हवामहल (पूर्व) जोन दिसम्बर 2016
नीलामी की सूची

1	HMZ (E)- 03	16X8	दिल्ली रोड बाईपास, ईदगाह के पास पूर्व की ओर से बाईपास रोड से वि.प. नं. 1।	
2	HMZ(E)-8	16X8	दिल्ली रोड बाईपास बंध की घाटी से पहले जलमहल तिराहे पर दक्षिणी पश्चिमी कोने के समानांतर जलमहल की ओर से वि.प.न. 4	
3	HMZ(E)-18	30X15	आगरा रोड कब्रिस्तान की दीवार के समानांतर कब्रिस्तान गेट के पूर्व की ओर गोविंद मार्ग देखते हुये।	



कार्यालय नगर निगम जयपुर



निर्मित सुलभ शौचालयों

दिसम्बर 2016

नीलामी की सूची

क्र. सं.	कार्य स्थल का नाम
1.	बांगड़, सवाईमानसिंह अस्पताल, जे.एल.एन.मार्ग
2.	ट्रांसपोर्ट नगर गुरुद्वारे के सामने।
3.	गवर्नमेन्ट हॉस्टल।
4.	सतीशचन्द्र अग्रवाल सर्किल।
5.	22 गोदाम रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया।
6.	गोपालपुरा बाईपास।



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)
दिसम्बर 2016 नीलामी की सूची

क्र. सं.	जोन का नाम	विज्ञापन साईट	क्षेत्र
1	हवामहल (पूर्व) जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र
2	विद्याधर नगर जोन	कियोस्क बोर्ड (बिजली के खंभो पर लगने वाले छोटे बोर्ड)	समस्त जोन क्षेत्र



कार्यालय नगर निगम जयपुर

ओवर हैड साईनेज (गैन्ट्री)

दिसम्बर 2016

नीलामी की सूची

क्र.सं.	स्थान का विवरण	
1	क्वीन्स रोड, सिरसी रोड जंक्शन, पूर्व की ओर।	
2	कालवाड़ रोड, गोविन्दपुरा स्कीम के पास।	
3	खातीपुरा रोड, झोटवाड़ा पुलिया के पास।	
4	सीकर रोड, मुरलीपुरा स्कूल के सामने	
5	सीकर रोड, वी.के.आई. रोड नं. 1 सोनी हॉस्पिटल के पास	
6	सीकर रोड वी.के.आई. रोड नम्बर 8, शर्मा ढाबा के पास	
7	सीकर रोड, अलका सिनेमा के पास।	
8	क्वींस रोड, प्रिंस रोड जंक्शन, पश्चिम की ओर।	
9	क्वींस रोड आमप्राली जंक्शन।	
10	क्वींस रोड, गांधी पथ जंक्शन।	
11	क्वींस रोड, झारखण्ड मोड़ के पास, पश्चिम की ओर।	
12	कलेक्ट्रेट रोड, सेशन कोर्ट गेट नम्बर-1 के बाहर।	
13	कलेक्ट्रेट रोड, खाराकोठी सर्किल के पास।	
14	एम.आई. रोड, गोवर्मेन्ट हॉस्टल के सामने।	
15	अजमेर रोड, क्वींस रोड जंक्शन।	
16	दिल्ली रोड, कुण्डा के पास।	
17	कालवाड़ रोड, जोशी मार्ग के पास।	



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित बस शैल्टर्स दिसम्बर 2016
नीलामी की सूची

क्र.सं.	स्थान का विवरण सहकार मार्ग
1	सहकार मार्ग, लक्ष्मी मंदिर सिनेमा।
2	सहकार मार्ग, जयपुर पैलेस दक्षिणी ओर।
3	सहकार मार्ग, जे.पी. फाटक के पास पश्चिम की ओर।
4	सहकार मार्ग, टिन्नी टायज स्कूल से पूर्व की ओर।
5	सहकार मार्ग, ट्रांसपोर्ट ऑफिस के सामने पश्चिम की ओर।
6	सहकार मार्ग, ईमली वाला फाटक पश्चिम की ओर।
7	सहकार मार्ग, ट्रांसपोर्ट ऑफिस से पूर्व की ओर।



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित बस शैल्टर्स दिसम्बर 2016 नीलामी की सूची

क्र.सं.	स्थान का विवरण क्वींस रोड़
1	अजमेर रोड़, क्वीन्स रोड़ जंक्शन (पश्चिम दिशा में)।
2	अजमेर रोड़, क्वीन्स रोड़ जंक्शन (पूर्व दिशा में) नीलकण्ठ कॉलोनी गेट नं. 1 प्लॉट नं. 35 के सामने मिलेक्ट्री की दीवार के समानान्तर।
3	क्वीन्स रोड़, भान नगर के सामने (पूर्व दिशा में)।
4	क्वींस रोड़, प्रिंस रोड़ जंक्शन पूर्व की ओर।
5	क्वीन्स रोड़, गांधी पथ जंक्शन पूर्व की ओर।
6	क्वींस रोड़, आम्रपाली मार्ग जंक्शन (पूर्व की ओर)।
7	क्वीन्स रोड़, आम्रपाली जंक्शन (पश्चिम दिशा में)।
8	क्वींस रोड़, झारखण्ड महादेव मंदिर के पास पूर्व की ओर।
9	क्वीन्स रोड़, राठौड़ नगर के पास (पश्चिम दिशा में)।
10	क्वींस रोड़, ब्रिगेडियर हाउस पूर्वी साईट।
11	क्वींस रोड़, सिरसी रोड़ जंक्शन पश्चिम की ओर।

Handwritten signature or mark.



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित यूनिपोल 14'x7'

दिसम्बर 2016

नीलामी की सूची

क्र.सं.	स्थान का विवरण	
1	अजमेर रोड़, आरओबी जयमहल होटल चौराहे पर, जयमहल होटल के कोने पर।	
2	अजमेर रोड़, आरओबी जयमहल होटल चौराहे पर, पूर्वी-दक्षिणी कोने पर सोडाला देखते हुये।	
3	अजमेर रोड़, आरओबी जयमहल होटल चौराहे पर, पूर्वी-दक्षिणी कोने पर गोर्वमेन्ट हॉस्टल देखते हुये।	
4	क्वींस रोड़, प्रिंस मार्ग के सामने, मिलकट्टी की दीवार के पास।	

Handwritten signature

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)



निर्मित टैलेट्स ग्रेटेड टॉवर ऑफ एडवर्टाईजमेंट पोस्ट
दिसम्बर 2016
नीलामी की सूची

क्र.सं.	स्थान का विवरण	
1.	रामबाग सर्किल	
2.	भगत सिंह चौराहा राजापार्क	

Handwritten signature

कार्यालय नगर निगम, जयपुर



(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)
टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवर्टाइजमेन्ट पोस्ट पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाइसेन्स की शर्तें नीलामी : दिसम्बर 2016

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए निर्मित टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवर्टाइजमेन्ट पोस्ट (विज्ञापन पट्ट स्थलों) की नीलामी एवं लाइसेन्स की शर्तें :-
सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए निर्मित टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवर्टाइजमेन्ट पोस्ट साइटों के लिए (1)सामान्य स्थिति, मर्यादी सिट शेड के पास (2) मोबिन्द मार्ग, गगत विह पार्क के सामने, दों साइटों के समूह के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी।

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवर्टाइजमेन्ट पोस्ट साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017) तक के लिए की जायेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाइसेन्स फीस पर जारी किया जायेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निष्काशित प्रक्रिया एवं विज्ञापन कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाइसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवर्टाइजमेन्ट पोस्ट पर निर्धारित स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाइसेन्स की विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अन्तर्गत अधिकार होगा। निर्मित टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवर्टाइजमेन्ट पोस्ट में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर विज्ञापन किया जा सकेगा, जिसमें दो तरफ विज्ञापन एवं एक तरफ नगर निगम का स्लोगन लगाना होगा।

दो के समूह टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवर्टाइजमेन्ट पोस्ट के लिए रुपये 60,000/- (साठ हजार रुपये) हस्तो अमानत के रूप में नगद या डीडी निगम में जमा करने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि गौके पर तुरन्त जमा करदानी होगी एवं अमानत राशि लाइसेन्स अवधि समाप्ति होने के बाद लौटाई जायेगी व उच्चतम बोलीदाता के अलावा शेष बोलीदाताओं की जमा अमानत राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।

नीलामी के पर्याप्त साइटों की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक बोली राशि तुरन्त गौके पर ही निगम कोष में जमा करनी होगी। इसमें अराकल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जमा कर पुनः नीलामी को जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

25 प्रतिशत राशि जमा करने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवर्टाइजमेन्ट पोस्ट पर विज्ञापन करने का लाइसेन्स जारी किया जायेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि लाइसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर डीडी या बैंकर चेक द्वारा जमा करनी होगी। अगामी वर्ष के लिए टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवर्टाइजमेन्ट पोस्ट साइटों का (01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018) तक के लिए नवीनीकरण निगम द्वारा किया जा सकेगा परन्तु इसके लिए लाइसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ अविदन भरद्वेन करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि का डेडी या बैंकर चेक जमा करदना होगा। अन्यथा लाइसेन्स निरस्त कर पुनः नीलामी की जायेगी। दूसरे वर्ष के लिए टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवर्टाइजमेन्ट पोस्ट साइटों का नवीनीकरण (01 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ दो माह पूर्व आगेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि का डेडी या बैंकर चेक जमा करना होगा। अन्यथा लाइसेन्स निरस्त कर पुनः नीलामी की जायेगी। नवीनीकरण की राशि 80 दिवस पूर्व समाप्त पर जमा नहीं करने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। 60 दिवस पूर्व नवीनीकरण हेतु आगेदन एवं स्वीकारण कर 1/4 राशि का ड्राफ्ट/बैंकर चेक प्राप्त नहीं होने पर नीलामी सूचना जारी कर दी जायेगी।

टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवर्टाइजमेन्ट पोस्ट अनुज्ञापत्रद्वारा द्वारा (एग उसके किसी व्यक्ति जिससे नैतिक अधिकार शामिल है।) टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवर्टाइजमेन्ट पोस्ट नीलामी शर्तें/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जायेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रद्वारा द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जम्मा कर के पैसे में जमा की जायेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रद्वारा के टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवर्टाइजमेन्ट पोस्ट पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा। टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवर्टाइजमेन्ट पोस्ट पर अस्वीकृत एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।

बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवर्टाइजमेन्ट पोस्ट को सही हाज़त में रखना होगा। एवं प्रत्येक टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवर्टाइजमेन्ट पोस्ट पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा पुरान स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवर्टाइजमेन्ट पोस्ट पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।

अनुज्ञापत्रद्वारा द्वारा यह भी ध्यान रखना जायेगा कि टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर्स ऑफ एडवर्टाइजमेन्ट पोस्ट की नैतिक करने का सम्पूर्ण अधिकार अनुज्ञापत्रद्वारा का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की लिमिटेशन लाइसेन्सबारे की होगी। किसी भी प्रकृतिक विवाद जैसे अग्नी, सूनाम आदि की स्थिति में टालेस्ट क्रियेटेड

11. टॉवर ऑफ एडवर्टाईजमेंट पोस्ट भीचे नहीं गिरे। टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर ऑफ एडवर्टाईजमेंट पोस्ट गिरने से अपना किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
12. प्रत्येक अनुज्ञापत्रारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/समान अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समझ-रामझ पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेगी।
13. लाईसेंस अवधि में टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर ऑफ एडवर्टाईजमेंट पोस्ट की पूर्ण देवरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी। टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर ऑफ एडवर्टाईजमेंट पोस्ट विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहाँ जैसी स्थिति में है की शर्त पर भीताम किया जा रहा है। विज्ञापन के दौरान यदि किसी टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर ऑफ एडवर्टाईजमेंट पोस्ट में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के खर्च पर ठीक करवाना होगा। टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर ऑफ एडवर्टाईजमेंट पोस्ट का रखरखाव दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा। टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर ऑफ एडवर्टाईजमेंट पोस्ट का सामना चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी।
14. प्रत्येक अनुज्ञापत्रारी अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त महोदय, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
15. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रारी के टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर ऑफ एडवर्टाईजमेंट पोस्ट मुडलर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार पुनः लगाने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रारी की होगी।
16. नौलागी की अंतिम मोती स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
17. विजली कनेक्शन व बिल का भुगतान एवं अन्य खर्च लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
18. नौलागी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की कलाया राशि अनुज्ञापत्रारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम-1989 या भीडीआर के तहत वसूल की जा सकेगी।
19. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रारियों को मान्य होगा।
20. इच्छुक व्यक्ति नौलागी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवे सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
21. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर ऑफ एडवर्टाईजमेंट पोस्ट साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसचारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा। प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उत्तम अवधि को अनुज्ञापत्रारी को शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जायेगी।
22. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को निर्धारित अवधि में ही करना होगा।
23. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर ऑफ एडवर्टाईजमेंट पोस्ट सही हालत में) होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जायेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता राशि जाल की जा सकेगी।
24. लाईसेंस समाप्ति पर टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर ऑफ एडवर्टाईजमेंट पोस्ट नगर निगम जयपुर को समलवाने होंगे, उन पर किये गये सम्पूर्ण विज्ञापनों को साफ करवाकर/हटाकर सही हालत में लाईसेंस समाप्ति पर नगर निगम जयपुर को समलाने होगी तथा टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर ऑफ एडवर्टाईजमेंट पोस्ट के चोरी हो जाने, टूट जाने, गट होने पर लिजिटल यूनिमेल अनुज्ञापत्रारी को बनाकर सुपुर्द करनी होगी अन्यथा उस समय की बाजार दर से टालेस्ट क्रियेटेड टॉवर ऑफ एडवर्टाईजमेंट पोस्ट का नगर निगम को भुगतान करना होगा।
25. अनुज्ञापत्रारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रारी का अनुज्ञापन, उपयुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जता की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
26. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर श्रित सक्षम न्यायालय में होगा।
27. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की समान समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं-उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन एवं संधारण की शर्तें

नीलामी : दिसम्बर 2016

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने एवं संधारण की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (1 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017) के लिए गान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. नीलामी सूची अनुसार निर्मित शौचालयों पर की नीलामी एक समूह में निर्मित शौचालय की होगी व शौचालय बाबत निगम द्वारा स्वीकृत बोली दाता को राशि जमा करानी होगी। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म द्वारा नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 15,000/- अक्षरे (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) प्रति निर्मित शौचालय पर अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा निर्मित शौचालयों एवं संधारण की पुनः नीलामी की जावेगी।
4. निगम सीमा में सूची अनुसार निर्मित शौचालयों की दीवार पर निर्धारित खाचों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेन्सी को अधिकार होगा, जो 400 वर्गफुट से अधिक नहीं होगा। नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन, नशे के चित्र (संकेत या लिखित) विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
5. बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन एवं सीवर कनेक्शन कराने व बिल का भुगतान व अन्य खर्चा लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
6. विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेन्सी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाईसेन्सी के हर्ज-खर्च पर हटवा देवे।
7. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की वालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 1 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की वालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष (1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की वालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर टेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी।
8. निगम द्वारा लाईसेन्सी को बिल/नोटिस भेजने के बाद यदि गणना, अवधि आदि में कोई त्रुटी रह जाती है तो निगम द्वारा की गई गणना, अवधि आदि किसी भी त्रुटी को लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी द्वारा दुरस्त/सुधार कर, संशोधित बिल/नोटिस प्रेषित किया जायेगा जिसकी पालना लाईसेन्सी को करनी होगी।
9. निर्मित शौचालयों पर लगे प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव एवं सुन्दर रखने का दायित्व लाईसेन्सधारी का होगा। इस संबंध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निर्मित शौचालयों पर किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा व न ही बैनर या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लारिटिक बोर्ड आदि लगाया जावेगा एवं इन्हें लाईसेन्सी द्वारा तुरन्त हटाया जावेगा। यदि नहीं हटायेंगे तो नगर निगम नियमानुसार कार्यवाही करेगा।
10. लाईसेन्स अवधि में निर्मित शौचालयों व संधारण की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी। निर्मित शौचालयों पर निर्धारित विज्ञापन स्थल पर विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहा है जैसी स्थिति में है की शर्त पर दिया जा रहा है। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी शौचालय में किसी प्रकार का टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के खर्च पर ठीक करवाना होगा। शौचालयों का स्ट्रक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोपन

11. किया हुआ खने का दायित्व लाईसेंसी का होगा। निर्मित शौचालयों का सामान चोरे होता है तो उसको जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी।
निर्मित शौचालयों में शौचालय/बाथरूम/यूनिट व अन्य सामान की देखभाल, टूट-फूट व रख-रखाव का दायित्व लाईसेन्सधारी का होगा। लाईसेन्स अवधि के दौरान किसी प्रकार की टूट-फूट होती तो लाईसेंसी द्वारा स्वयं के हर्जे-खर्चे पर ठीक कराना होगा। शौचालयों की सुविधाओं को दुरुस्त हालत में रखना होगा। कोई सामान इत्यादि चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी। अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (निर्मित शौचालय सही हालत में) होने का प्रमाण पत्र अधिशेषी अभियंता (मुख्यालय) नगर निगम जयपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत करने पर लाईसेंसी को लौटाई जाएगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जब्त की जा सकेगी।
लाईसेन्सधारी को प्रत्येक 3 (तीन) माह में जोन उपयुक्त या अधिशेषी अभियंता (मुख्यालय) से निर्मित शौचालयों की सही हालत में रख-रखाव करने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
निर्मित शौचालयों का बंद होने व खुलने का समय नगर निगम द्वारा निर्धारित अनुसार होगा जो प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक री कम नहीं होगा।
निर्मित शौचालयों पर उपलब्ध सुविधाओं का निर्धारित शुल्क शौचालय उपयोग के लिए 2/- रु. व बाथरूम के उपयोग के लिए 5/- रु. होगा एवं यूनिट का कोई शुल्क नहीं होगा। निर्धारित शुल्क की दरों को निर्मित शौचालयों पर पटनीय स्थान पर दिखता हुआ लगाना अनिवार्य होगा।
निर्मित शौचालयों का संचारण एवं रख रखाव प्रतिदिन करना होगा जिसमें रोजाना टायलेट की सफाई, यूनिटल फर्श व दीवारें छत एवं अन्दर की व बाहरी दीवारों की नियमित सफाई करनी होगी। सफाई के लिए पन्ड्रल, नेफ्थीलीन वॉल का उपयोग करना होगा साथ ही टायलेट में साबुन, टायल व हाथ सुखाने के लिए डायर की व्यवस्था करनी होगी। उपयुक्त (राजस्व) उपयुक्त (स्वास्थ्य) या राजस्व अधिकारी द्वारा निर्मित शौचालयों का निरीक्षण उपर्युक्त उपरोक्त अनुसार सफाई नहीं होने पर उनके द्वारा प्रतिवेदन पर बोलोदाता की जमा अमानता राशि से 500 रु. प्रतिदिन की दर से कटौती करने बाबत आदेश जारी करने का अधिकार लाईसेंसिंग ऑथोरिटी, नगर निगम जयपुर का होगा। शर्तों के उल्लंघन पाये जाने पर लाईसेन्स, लाईसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। शौचालयों पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखेगा।
निर्मित शौचालयों पर संचारकर्ता फर्म का नाम एवं नगर निगम जयपुर का नाम एवं लोगो अंकित करना अनिवार्य होगा।
फर्म द्वारा निर्धारित विज्ञापन स्थल के अलावा निर्मित शौचालयों पर अंतर व बाहरी दीवारों पर अन्य कोई भी विज्ञापन, पोस्टर, स्टेन्ड व अन्य प्रकार विज्ञापन सामग्री प्रदर्शित नहीं करेगा और ना ही करने देगा।
निर्मित शौचालयों में किसी भी प्रकार का तारपत्ती व अन्य खेल नहीं करेगा और ना ही करने देगा।
लाईसेंसी किसी अन्य व्यक्ति/एजेन्सी फर्म को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
लाईसेंसी/फर्म निर्मित शौचालयों का आवासीय उपयोग नहीं करेगा एवं जानवर/वाहन पार्किंग इत्यादि के लिए निर्मित शौचालय के बाहर व अन्दर उपयोग नहीं करेगा।
बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
जगह/यातायात में बाधा होने पर अथवा BRTS/जयपुर मेट्रो परियोजना के कारण निर्मित शौचालयों को रिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा इसमें लाईसेन्सी को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होगा।
अगर शर्त संख्या 21 अनुसार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस रोक रहे समय की अनुपपत्तिक पर से विज्ञापन उपदिष्टियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
किसी विवाद में आयुक्त, नगर निगम जयपुर को अपील की जा सकेगी।
अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी की राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1989 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा।
समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा।
लाईसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निराप नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।


 लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपयुक्त (राजस्व)
 नगर निगम जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

की शर्तें नीलामी : दिसम्बर 2016

एवं लाईसेन्स की शर्त :-

यूनिपोल स्ट्रक्चर पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जायेगा।

यनिपोल साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 जनवरी 2017

फीट साइज के यूनियोन साइट के लिए 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये केवल)

ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने

25 प्रतिशत राशि जमा कर्षण पर उच्चतम बोलीदाता

नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्ण शर्त नहीं होगी। कि

रावी में अंकित स्थल अनुरार साइट प्लान सहित जारी किया जायेगा।

जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं। यन्त्रिपेल नीलानी

लाईसेंस अवधि समाप्ति तिथि के तुरन्त बाद निगम द्वारा

10. यूनिपोल अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार नगर निगम जयपुर के प्राथमिकार की देखरेख में ही लगाया जाएगा जिसका प्रमाणीकरण प्राथमिकार द्वारा किया जाएगा। उनकी देखरेख के बिना एवं स्व. लिट्टेक से सम्बंधित फर्म द्वारा लगाये गये यूनिपोल को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जितना हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा।
11. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से '16'X'8' यूनिपोल का निर्माण निगम स्पेशलिजेशन के अनुसार करना होगा एवं '30'X'15' साईज के यूनिपोल लगाने से पूर्व डिजाईन एवं स्पेशलिजेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कक्षाकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में पेश करनी होगी। इसी के अनुसार इनका संवर्णन (रख रखाव) किया जावेगा।
12. यूनिपोल पर अवरहील एवं आपसिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा एवं डिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
13. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर यूनिपोल बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा। यदि हटाते समय यूनिपोल फिक्सचर की आंशिक या पूर्ण क्षति होगी तो नगर निगम जयपुर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।
14. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह यूनिपोल को नगदूरी से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में यूनिपोल नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि यूनिपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। यूनिपोल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान को भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियाँ 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियाँ 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सहम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समक-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों को पालना करेगा।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों को पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को ही करेगी।
17. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल भुलकर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।
18. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों को पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी को साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
20. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा करना होगा तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाईसेन्सधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
21. नीलामी में लिये गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के गिरावट किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम-1969 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
22. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
23. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का आलोकन कर लेते सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जावेगी।
24. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस आदेशिक दैर्घिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेन्सधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा।
25. अगर कोई यूनिपोल जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिलिपित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त आंधी की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियाँ-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
26. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सहम न्यायालय में होगा।
27. सभी यूनिपोल सिलवर रंग के होंगे जिन्होने सही हालत में रखना होगा एवं साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा।
28. लाईसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सहम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)

नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

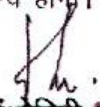
ओवर हैड साईनेज (गैन्ट्री) की शर्तें

नीलामी : दिसम्बर 2016

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए ओवर हैड साईनेज पर विज्ञापन प्रदर्शित करने एवं संचारण करने की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 20,000/- अक्षर (बीस हजार रुपये मात्र) प्रति ओवर हैड साईनेज अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। प्राप्त उच्चतम बोली स्वीकृत होने के उपरान्त स्वीकृत बोली दर की 5 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में जमा कराई जायेगी जिसमें अमानता राशि का समायोजन किया जायेगा। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा ओवर हैड साईनेज की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. निगम सीमा में लगे ओवर हैड साईनेज पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। निर्मित ओवर हैड साईनेज में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जा सकेगा एवं एक तरफ दिशा सूचक प्रदर्शित करना होगा। स्थान संलग्न सूची अनुसार होगा एवं निगम की स्वीकृति पर ही स्थान परिवर्तन होगा।
5. ओवर हैड साईनेज पर लगे दिशा सूचक साईनेज पर यदि मिशन अनुपम, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं फर्म का नाम है तो उसे हटाकर उसके स्थान पर जयपुर नगर निगम व जयपुर नगर निगम का लोगो लगाना होगा। साईनेज रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट जो blue Color, Color No. 66 French blue as per 1.515 व अक्षर सफेद कलर में होगी।
6. बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्चा लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
7. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेन्सी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाईसेन्सी के हर्जे-खर्चे पर हटवा देंगे।
8. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर ओवर हैड साईनेज (गैन्ट्री) पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमण्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
9. ओवर हैड साईनेज पर प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस सम्बन्ध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ओवर हैड साईनेज पर किसी प्रकार

- का पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा व ना ही बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाया जावेगा तो उसे तुरंत हटाया जावेगा । यदि नहीं हटायेगे तो नगर निगम नियमानुसार कार्यवाही करेगा ।
10. लाईसेन्स अवधि में ओवर हैड साईनेज की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी। ओवर हैड साईनेज विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी ओवर हैड साईनेज में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के हर्जे पर ठीक करवाना होगा। ओवर हैड साईनेज का स्ट्रेक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा। ओवर हैड साईनेज का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी।
 11. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (ओवर हैड साईनेज सही हालत में) होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जब्त की जा सकेगी।
 12. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
 13. जनहित/यातायात में बाधक होने पर ओवर हैड साईनेज को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा जिसे लाईसेन्सी द्वारा अपने खर्चे पर शिफ्ट करना होगा। इसमें लाईसेन्सी को किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा। 15 दिन के नोटिस पर लाईसेन्सी को ओवर हैड साईनेज शिफ्ट करना होगा।
 14. अगर कोई ओवर हैड साईनेज जनहित में हटाना आवश्यक होगा या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
 15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंस ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
 16. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
 17. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम जयपुर में निहित होगा तथा वहीं मान्य होगा तथा अनुज्ञापत्रधारी को पालना करनी होगी।
 18. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन अनुज्ञापत्रधारी को ही करना होगा।
 19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
 20. इस अनुज्ञापत्र के संबंध में कोई विवाद होता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय होगा।
 21. लाईसेंस की शर्तों के संबंध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होता है तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।


 लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)
 नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

बस शैल्टर्स की शर्तें

नीलामी : दिसम्बर 2016

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए बस शैल्टर्स पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. बसशैल्टर्स की नीलामी रोड़ वार्डज (एक राहूह में) सूची अनुसार की जायेगी। विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 20,000/- अक्षरे (बीस हजार रुपये मात्र) प्रति बसशैल्टर्स अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जायेगी तथा बस शैल्टर्स की पुनः नीलामी की जायेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. निगम सीमा में लगे बस शैल्टर पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। निर्मित बस शैल्टर में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा एवं निर्धारित स्थल पर जयपुर सिटी का मानचित्र प्रदर्शित करना होगा। स्थान संलग्न सूची अनुसार होगा एवं निगम की स्वीकृति पर ही स्थान परिवर्तन होगा।
5. बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्चा लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
6. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेन्सी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाईसेन्सी के हर्ज-खर्च पर हटवा देगे।
7. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर बसशैल्टर्स पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जायेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की वालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की वालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की वालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
8. बस शैल्टर पर लगे प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा, इस संबंध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बस शैल्टर्स पर किसी व्यक्ति/फर्म/संस्थान द्वारा पोस्टर चिपकाने पर बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाये जाने पर, उरो लगते ही तुरंत हटाने की जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी, यदि लाईसेंसी द्वारा तुरंत नहीं हटवाये जाते है तो नगर निगम द्वारा हटवाये जाने पर लाईसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा निर्धारित किया गया हर्ज-खर्चा लाईसेंसी को नगर निगम जयपुर कोष में तुरंत जमा कराना होगा। हर्ज-खर्चा तुरंत जमा नहीं कराने की दशा में, जमा अमानत राशि में से कटौती कर ली जायेगी।

9. लाइसेन्स अर्द्धि में बस शैल्टर की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाइसेन्सी को होगी। बस शैल्टर विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहाँ है जैसी स्थिति में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी शैल्टर में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाइसेन्सी द्वारा क्षी स्वयं के खर्च पर ठीक करवाना होगा। शैल्टर्स का स्ट्रेकर उरुता हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाइसेन्सी का होगा। बस शैल्टर का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाइसेन्सी की होगी।
10. लाइसेंस अर्द्धि समाप्ति तक लाइसेन्सी को सभी शर्तों की पालना करनी होगी व ठेका अर्द्धि समाप्ति पर बसशैल्टर सही हालत में सुपुर्द करने होंगे। लाइसेंस अर्द्धि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना लाइसेन्सी द्वारा किये जाने पर जग अमानत राशि लाइसेन्सी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर जमा अमानत राशि जलत की जा सकेगी।
11. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
12. जनहित/यातायात में बाधक होने पर बस शैल्टर को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा जिसे लाइसेन्सी द्वारा अपने खर्च पर शिफ्ट करना होगा। इसमें लाइसेन्सी को किसी प्रकार का रेशनज नहीं होगा।
13. दिन के नोटिस पर लाइसेन्सी को बस शैल्टर शिफ्ट करना होगा।
14. अगर कोई बस शैल्टर जनहित में हटाना आवश्यक होगा या पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अर्द्धि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियाँ 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी अनुज्ञापन अधिकारी (लाइसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
16. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान नगर नगर अधिनियम 1959 या पी.डी. आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
17. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा।
18. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाइसेन्सी को ही करना होगा।
19. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
20. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाइसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा भिरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जलत की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी को साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाय़ा जा सकेगा।
21. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाइसेन्सी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अर्द्धि में आवश्यक रूप से जमा करना होगा तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाइसेन्सी द्वारा जमा कराई जावेगी।
22. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन रागस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
23. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व शर्तों का अवलोकन कर लेते सारकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
24. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाइसेन्सी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा।
25. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई दिवाद पक्षकारों के मध्य उत्पन्न है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित रक्षम न्यायालय में होगा।
26. लाइसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाइसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकौली, जयपुर)

क्रियोरस्क (बिजली के खम्बों पर लगाये जाने वाले छोटे बोर्ड)

नीलामी : दिसम्बर 2016

नगर निगम के सीमा क्षेत्र में विभिन्न मांगों पर समस्त बिजली के खम्बों पर दो छोटे बोर्ड (क्रियोरस्क) लगाने के लाईसेंस की जेन बर नीलामी की शर्त निम्न प्रकार होगी। नीलामी निगम द्वारा विज्ञापित के अनुसार की जायेगी।

1. लाईसेंस की अवधि :- विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष 01 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक के लिए मान्य होगी। लाईसेंसधारियों द्वारा नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

2. क्षेत्र :- क्रियोरस्क की नीलामी निगम के तीन जालों के लिए प्रत्येक होगी इसमें क्षेत्रों का विभाजन क्रियोरस्क लगाने की सुविधा के लिए किया गया है। क्षेत्र की विस्तृत जानकारी के लिए मानचित्र का अलोकन किया जा सकता है परन्तु चारदीवारी के अन्दर जयपुर शहर में किसी भी प्रकार का विज्ञापन क्रियोरस्क नहीं लगाया जा सकेगा। जालों के क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार है:-

हवामहल जाल (पूर्वी)-

जयपुर शहर के अंदर का भाग जोहरी बाजार, बड़ी चौपड़, रामजी बाजार, सूरजपोल बाजार, घाटगेट बाजार एवं परकोटे के अन्दर के भागों को छोड़ते हुए बीच परकोटे का बाहरी भाग घाटगेट से ट्रांसपोर्ट नगर बीसठे तक एवं ट्रांसपोर्ट नगर चौबट्टे से दिल्ली बार्डिंग, पुष्पा ग्रीनी विराहे तक एवं इसके आतिरिक्त जाल का क्या हुआ क्षेत्र का भाग शामिल है।

विद्यानगर नगर जाल:-

घाटपोल गेट से उत्तर की ओर परकोटे के बाहर का क्षेत्र जिसमें नाहरी का नामा सुभाष नगर, शास्त्री नगर, पुलिस अकादमी का क्षेत्र घाटपोल गेट बाहर से स्टेशन करते हुए, रेलवे स्टेशन का उत्तरी भाग जिसमें बनीपार्क बड़ीदिया बस्ती झोटाबाड़ा रोड शामिल है। रेलवे स्टेशन से अजमेर की ओर रेलवे पर निगम सीमा तक उत्तरी ओर का भाग जिसमें झोटाबाड़ा सीकर रोड, विद्यानगर नगर, विश्वकर्मा, अम्बालाडी क्षेत्र शामिल है।

03. निम्न स्थानों पर क्रियोरस्क बोर्ड नहीं लगाए जा सकेंगे।

(क) साकिल के चारों ओर एवं बीच में लगे खम्बों पर।

(ख) पुष्प जयपुर शहर को चार दिशाओं क्षेत्र में लगे खम्बों पर।

(ग) राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु निषेध किया हुआ क्षेत्र यथा मयवादास रोड (जनवध रोड) पावताली से स्थान

तक तक जेएलएन, रोड इत्यादि एवं सड़क सड़क, बार्डिंग रोड या फर्म द्वारा मजदूरी के साथ सुझा ध्यान में रखते हुए इध

प्रकार लगाने होंगे कि जिससे आम जनता व अन्य किसी को क्षति ना पहुँचे यदि उसकी आवश्यकता हो तो उन पर

होगा तो उपरोक्त खर्च-खर्च के लिए लाईसेन्सी खर्च उत्तरदायित्व होगा नगर निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

05. प्रत्येक क्रियोरस्क बोर्ड की साईज लम्बाई 40 इंच एवं चौड़ाई 30 इंच होगी तथा विलय लगाकर खम्बे के दोनों ओर क्रियोरस्क

लगाये जा सकेंगे। क्रियोरस्क खम्बे पर एक दूसरे के आगे पीछे लम्बवत लगाने होंगे।

06. खम्बों पर क्रियोरस्क बोर्ड विपुल बलित कम्प्यूटराइज्ड बोर्ड नहीं लगाया जावेगा।

07. जिन मांगों पर खम्बे वर्तमान में दोनों तरफ लगे हुये हैं उन मांगों पर बाद में खम्बे सड़क के बीच में लग जाते हैं तो

सड़क के बीच में खम्बों पर ही विज्ञापन प्रदर्शित करने की स्वीकृति होगी। वर्तमान में जहाँ खम्बे सड़क के बीच लगे हुये

हैं उन पर ही लाईसेन्सी क्रियोरस्क लगवा सकेगा वही यदि सड़क के दावे ओर बाये ओर खम्बे लगे भी हैं तो उन पर

क्रियोरस्क लगाना वर्जित होगा। किसी भी ट्रांसफार्मर अथवा अस्थाई पोल पर क्रियोरस्क लगाने की स्वीकृति नहीं होगी

क्रियोरस्क पर फिल्मी पोस्टर लगाना वर्जित होगा। बी.आर.टी.एस. रोड की ओर लगे विपुल पोलों (बीच में लगे हुए) पर

विज्ञापन नहीं किया जाकर रोड के एक तरफ अथवा दोनों तरफ लगे हुए विपुल पोलों पर विज्ञापन किया जा सकेगा।

08. खम्बों पर क्रियोरस्क सड़क/ट्रिब्यूटरी की सड़क से न्यूनतम 8 फिट ऊँचा होगा। एक खम्बे पर आगे पीछे कुल दो विज्ञापन

क्रियोरस्क बोर्ड लगाए जा सकते हैं। लाईसेन्सी खम्बों व क्रियोरस्क को साफ सुथरा रखेगा। तथा निगम की उपविधियाँ 2004

एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ-2008 के अन्तर्गत विज्ञापन प्रदर्शित करेगा। अक्षरीय व ग्राफिकल तथा आपाते जनक

विज्ञापन प्रदर्शित करना पूर्णतया वर्जित होगा निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि उक्त प्रकार के विज्ञापन को बिना पूर्ण

सूचना के हटा दे। उसका उर्जा-खर्चा लाईसेन्सी से वसूल करे। खम्बे पर किसी प्रकार का कोई पोस्टर नहीं लिपिकाया

जावेगा ना ही कोई बड़े बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतने स्टाटिक बोर्ड आदि लगाये जायेंगे। यदि कोई पोस्टर बड़े बैनर पतने

आदि लग जाये तो उसे लाईसेन्सी द्वारा तुरन्त हटवाया जावे।

09. क्रियोरस्क लगाते या उत्पत्ति समय व लाईसेन्स अवधि में अगर किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी। इसमें निगम का कोई

लाईसेन्सी की स्वयं की होगी एवं अन्य क्रियोरस्क को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी। इसमें निगम का कोई

उत्तरदायित्व नहीं होगा।

10. लाईसेन्सी जो क्रियोरस्क बोर्ड बिजली के खम्बों पर लगाएगा उसका बोर्ड हो जाने, गुग हो, जाने व खम्बों की संख्या कम

हो जाने इत्यादि की जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी। नगर निगम का कोई दायित्व नहीं होगा।

11. क्रियोरस्क लाईसेन्सी को खर्च के खर्च पर लगाने होंगे तथा लाईसेन्सी की शर्तों के तहत लाईसेन्सी पर क्रियोरस्क खम्बों पर एकलपदा

से लगाने होंगे जिससे शहर की सुन्दरता बनी रहे। लाईसेन्स की अवधि सल होने पर 3 दिवस में क्रियोरस्क हटाने होंगे

अन्यथा हटाने का खर्चा लाईसेन्सी से जमाना में से वसूली जावेगा।

12. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 100000/- अक्षर (एक लाख रुपये मात्र) प्रति जोन के कियोस्क की अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
13. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर कियोस्क (विजली के खंभों पर लगने वाले छोटे बोर्ड) पर निज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर बैंक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर बैंक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर बैंक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर बैंक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
14. शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा। राज्य सरकार/नगर निगम द्वारा जारी आदेश व निर्देश मान्य होंगे, जिसकी पालना लाईसेन्सी को करनी होगी। जयपुर नगर निगम उपविधियों 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियों-2008 के प्रावधानों की भी पालना करनी होगी।
15. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी की राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
16. किसी विवाद में आयुक्त, नगर निगम जयपुर को अपील की जा सकेगी।
17. स्थान अथवा जोन सीमा विवाद होने पर लाईसेंसिंग ऑथोरिटी का निर्णय अंतिम होगा जो लाईसेन्सी को मान्य होगा।
18. यदि किसी न्यायालय के निर्देश, सरकार द्वारा प्रतिबंधित रोड एवं यातायात में बाधक होने पर अथवा अन्य अड़बट/कारण के कियोस्क हटाना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को स्वयं के खर्च पर करना होगा। निगम में जमा राशि में से कियोस्क हटाने अथवा हटाने से हुए आर्थिक नुकसान के लिए नगर निगम जयपुर द्वारा किसी प्रकार की राशि का रिफण्ड (पुनर्भरण) नहीं किया जायेगा एवं लाईसेंसधारी फर्म को नवीनीकरण शुल्क की पूर्ण राशि जमा करवानी होगी।
19. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
20. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा समस्त कियोस्क को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
21. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी। इसके अभाव में लाईसेन्स अमान्य होगा।
22. नीलामी में लिए गये कियोस्क के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
23. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन अनुज्ञापत्रधारी को मान्य होगा।
24. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उत्पन्न है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
25. लाईसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

14X7 वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : दिसम्बर 2016

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल (विज्ञापन पट्ट स्थलों) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल साइटों के लिए नीलामी सूची अनुसार पृथक-पृथक साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017) तक के लिए की जायेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं दिज्ञापित कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल पर निर्धारित स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेन्स को विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत अधिकार होगा। 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा।
4. प्रत्येक 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल के लिए रुपये 20,000/- (बीस हजार रुपये) बतौर अमानता के रूप में नगद या डीडी निगम में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर तुरन्त जमा करवानी होगी एवं अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्ति होने के बाद लौटाई जायेगी व उच्चतम बोलीदाता के अलावा शेष बोलीदाताओं की जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
5. नीलामी के पश्चात् प्रत्येक साइट की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक बौधार्थ राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जायेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
6. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमण्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष 01 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने पर नवीनीकरण की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का बैंकर चैक/डीडी अथवा सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
7. 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा (या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं) 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।
8. 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
9. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल पर सिल्वर रंग के होंगे, जिनको सही हालत में रखना होगा। एवं प्रत्येक 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनियोपल पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।

10. अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि यूनिपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल नीचे नहीं गिरे। 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम को कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
11. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
12. लाईसेन्स अवधि में 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी। 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन के दौरान यदि किसी 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के खर्च पर ठीक करवाना होगा। 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल का स्ट्रक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा। 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल का सामना चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी।
13. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील आयुक्त, नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
14. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल मुडकर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार पुन लگانे की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी।
15. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
16. विजली कनेक्शन व बिल का भुगतान एवं अन्य खर्च लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
17. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की नकारा राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
18. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
19. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवे सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नहीं लौटाई जायेगी।
20. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेन्सधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा। प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
21. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को निर्धारित अवधि में ही करना होगा।
22. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल सही हालत में होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।
23. लाईसेंस समाप्ति पर 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल नगर निगम जयपुर को संभलवाने होंगे, उन पर किये गये सम्पूर्ण विज्ञापनों को साफ करवाकर/हटवाकर सही हालत में लाईसेंस समायोजन पर नगर निगम जयपुर को संभालनी होगी तथा 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल के चोरी हो जाने, टूट जाने, नष्ट होने पर 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी को बनाकर सुपुर्द करनी होगी अन्यथा उस समय की बाजार दर से 14'X7' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल का नगर निगम को भुगतान करना होगा।
24. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, उपायुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
25. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
26. लाईसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।


 लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं उपायुक्त (राजस्व)
 नगर निगम जयपुर